राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2025 अपील

उमेश कुमार ब्यावट पुत्र स्व० विक्रम कुमार ब्यावट (भूतपूर्व सैनिक), दमामी निवासी रूपाहेली कलां तहसील हुरडा जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध तहसीलदार हुरड़ा
बप्रकरण संख्या 303/2024 निर्णय दिनांकित 16/10/2024

उपस्थित –

1. श्री विशाल गुप्ता, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 12/03/2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अनुसार अपीलार्थी की ओर से दिनांक 19.01.1976 खसरा संख्या 1105/1239 रकबा 7 बीघा नहरी कृषि योग्य भूमि का बतौर नजराने आवंटित की गई थी। उस पर ग्राम वासियों का कब्जा चला आ रहा है। भूमि विवादित है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु एवं आवंटित भूमि का कब्जा अपीलार्थी को दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत कर रखा था। उस पर जिलाधीश महोदय की अनुशंसा पर अपीलार्थी को श्रीमान् अतुल शर्मा, आयुक्त अजमेर के द्वारा अपीलार्थी रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील हुरडा की आराजी संख्या 547 में 10 बीघा 6 बिस्वा बंजड भूमि किस्म का अपीलार्थी को पूर्व आवंटित की गई, जिस पर आज से 15 वर्ष पूर्व ही श्रीमान आयुक्त अतुल शर्मा को दिखाई भूमि पर ही काबिल काश्त है। अपीलार्थी के पिता लकवे से ग्रस्त होने से न्यायालय नहीं आ पा रहे थे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास किया गया, प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन दर्ज नही हो पाई। अपीलार्थी के नाम से विधुत कनेक्शन है एवं 15 वर्ष से मकान

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्मित है जिस पर अपीलार्थी का पूरा परिवार निर्मित मकान में निवास कर रहा है। न्यायालय तहसीलदार हुरडा ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए तथाकथित आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार/ना0तहसीलदार हुरडा ने 08.10.2024 को धारा 91 के तहत नोटिस बप्रकरण संख्या 303/2024 अनवान राज्य सरकार बनाम उमेश कुमार के तहत जारी किया गया। जिस पर दिनांक 16.10.2024 को अपीलार्थी तहसीलदार/नायब तहसीलदार हुरडा के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ। और उक्त मामले में फर्दन अहकाम पर 16.10.2024 को अपीलार्थी के हस्ताक्षर है। बावजूद इसके अपीलार्थी द्वारा जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय मांगे जाने का समुचित अवसर चाहा गया परन्तु अपीलार्थी की कोई सुनवाई नहीं की जाकर 16.10.2024 को प्रश्नगत आदेश पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर, बेदखली मय शास्ति आरोपित कर दी गई।

अपीलार्थी को उक्त आराजियात 19.01.1976 को खसरा संख्या 1105/1239 रकबा 07 बीघा नहरी कृषि योग्य भूमि का बतौर नजराने आवंटित की गई थी तब से वह काबिल काश्त है। जिस पर पक्का निर्माण कर अपीलार्थी के पिता विक्रम कुमार पुत्र कुंज बिहारी के नाम से विघुत कनेक्शन ले रखा है। जिसके खाता संख्या 1824–0132 है और अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजियात आ.न. 3895/546 रकबा 0.1215 हैक्टे. भूमि किस्म गे.मु. छापर में अंकित है, जबकि उक्त आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा हो अपीलार्थी द्वारा काश्त की जा रही है एवं नियमिति कई वर्षों से लगान अदा किया जा रहा है, जिसकी रसीद पटवारी द्वारा अपीलार्थी को दी जा रही है। इस प्रकार अपीलार्थी का विगत करीब 40–45 वर्षों से मुखालपना कब्जा होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.10.2024 अपास्त फरमाया जाए।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता व अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण में दस्तावेजों का आघोपान्त अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 16.10.2024 को अपीलाण्ट हाजिर हुआ किन्तु अपने पक्ष के संदर्भ में कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए। पटवारी की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार भी उमेश कुमार ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी ने नाजायज निर्माण कर अतिक्रमण करा हुआ होने से बेदखली मय शास्ती का आदेश नियमानुसार एवं विधिवत रूप से पारित किया गया। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि अपीलाण्ट ने अपने पक्ष के संदर्भ में दौराने

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय सुनवाई एवं इस अपीलाण्ट न्यायालय सुनवाई बाबत् आदिनांक तक कोई ठोस दस्तावेज/जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके विपरीत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट ने नाजायाज निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलाण्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आधारहीन व सारहीन ठहरती है, अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील आधारहीन व सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार हुरडा का प्रश्नगत आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा